बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/आरोप (औरंगाबाद) 02–77/2023– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, औरंगाबाद के पत्रांक–2935 दिनांक–23.07.2024 द्वारा **श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, औरंगाबाद सदर** के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें केवाला सं०–13650, दिनांक–25.08.1978 जो निबंधन कार्यालय, औरंगाबाद में निबंधित नहीं था, उक्त केवाला के आधार पर खरीद बिक्री की गयी भूमि का कई व्यक्तियों के नाम से दाखिल खारिज करने एवं मौजा–रायपुरा, खाता सं०–67, खेसरा सं०–60, 2049 का बंटवारा अवर न्यायाधीश–1 औरंगाबाद के न्यायालय में लंबित रहने के बावजूद अंचल अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति देने जैसे आरोप प्रतिवेदित किये गये। तदोपरान्त समाहर्त्ता, औरंगाबाद से प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर पर पुर्नगठित किया गया।

2. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–2200(15), दिनांक–21.10.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–06.11.2024 से अपना बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज करने के पूर्व संयुक्त खाते की जमीन का सत्यापन, भूमि पर दखल कब्जा की जाँच नहीं की गई है एवं बंटवारा वाद से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय में लंबित रहने के बावजूद दाखिल–खारिज अधिनियम/नियमावाली के प्रवधानों का उल्लंघन करते हुए दाखिल–खारिज किया गया है एवं इसके लिए जबावदेह कारण के रूप में राजस्व कर्मचारियों के प्रतिवेदन को आधार बनाते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व से विमुख होने का प्रयास किया गया है। प्रश्नगत मामले में बंटवारा वाद सब जज–1, के न्यायालय में विचाराधीन रहने के बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज स्वीकृत किया गया है, जबकि केवाला वास्तविक है अथवा फर्जी है, इसका निर्धारण व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जाता है, परंतु किसी भी दाखिल–खारिज स्वीकृत करने के पूर्व संयुक्त खाते की जमीन का सत्यापन एवं भूमि पर दखल कब्जा की जाँच करना अंचल अधिकारी का पदीय दायित्व होता है, एवं यदि बंटवारा से संबंधित कोई मामला व्यवहार न्यायालय में लंबित है, तो न्यायालय के आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाती है, परंतु आरोपी पदाधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी का दायित्व मात्र राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर आँख मूंदकर दाखिल–खारिज को स्वीकृत/ अस्वीकृत किया जाना नहीं होता है बल्कि अभिलेखीय/स्थलीय साक्ष्यों/तथ्यों की जाँच–पड़ताल करते हुए स्वीकृत/ अस्वीकृत किया जाना होता है। इस स्तर पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने निजी स्वार्थवश अथवा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त चूक की गई है। अतः आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प सं0–735(15) दिनांक–13.05.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई जिसमें अपर समाहर्त्ता,

आपदा प्रबंधन, औरंगाबाद को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, औरंगाबाद के पत्रांक–126 दिनांक–26.02.2026 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का सुस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया।

तदालोक में विभागीय पत्रांक–893(15) दिनांक–19.06.2026 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण–पृच्छा) की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा अपना अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण–पृच्छा) दिनांक–18.07.2026 से विभाग में समर्पित किया गया।

6. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत "पेंशन राशि का 10 प्रतिशत 05(पाँच) वर्ष के लिए कटौती का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार **श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, औरंगाबाद सदर सम्प्रति सेवानिवृत्त अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर** के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत **"पेंशन राशि का 10(दस) प्रतिशत 05(पाँच) वर्ष के लिए कटौती का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (औरंगाबाद) 02–77/2023–** 2009 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 26/10/2026

निबंधित ई–मेल

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्त्ता, औरंगाबाद एवं मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद एवं मुजफ्फरपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/श्री प्रेम कुमार, सेवानिवृत्त अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (**गृह पता–पिता–श्री विमल किशोर प्रसाद सिन्हा, ग्राम+पो0–बभनबीघा थाना+अंचल–बभनबीघा, जिला–शेखपुरा**) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/10/26

(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।